FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** MANDI **Year(वर्ष):** 2023
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0006 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 04/12/2023 12:37 AM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	379
2	INDIAN FOREST ACT, 1927	41
3	INDIAN FOREST ACT, 1927	42

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** Intervening Day **Date From(दिनांक से):** 02/12/2023 **Date To(दिनांक तक):** 03/12/2023
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 12:00 AM **Time To (समय तक):** 07:00 PM

   (b) **Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date(दिनांक):** 03/12/2023 **Time (समय):** 11:27 PM

   (c) **General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 006 **Time (समय):** 03/12/2023 11:27 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 70 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**

      (b) **Address(पता):** TEHTA, NIHRI

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name(नाम):** Kamal Kant

   (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** 08/04/1984 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-PS SV ACB MANDI, TEHSIL-MANDI, PS-SADAR MANDI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-PS SV ACB MANDI, TEHSIL-MANDI, PS:SADAR MANDI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) **Phone number** (दूरभाष न.): **Mobile** (मोबाइल 91-9418304325

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	GOVINDER KUMAR	Father:SH. NETAR SINGH	COLONY-TEHTA,VILLAGE-PO BROKHADI,TEHSIL-NIHRI,PS-NIHRI, DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-TEHTA,VILLAGE-PO BROKHADI,TEHSIL-NIHRI,PS-NIHRI, DISTRICT-MANDI,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-)** (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि LHC अभिनव चन्देल जो कि रफता व हवाला रपट न0 05 रोजनामचा दिनांक 02.12.2023 का रवाना था। इस समय हाजिर थाना आया है तथा अपने हमरा एक अदद रुक्का लिखित व हस्ताक्षरित निरीक्षक कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो मण्डी वर खिलाफ गोविन्द्र कुमार पुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गांव टेहटा डा0 बरोखड़ी तहसील निहरी जिला मण्डी (हि0प्र0) अधीन धारा 379IPC & Sec. 41, 42 IF Act के अभियोग पंजीकृत करने हेतू लाया है। जिसका विवरण निम्न है :- सेवा में, MHC, PS SV&ACB मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0। राजकीय कार्य से सुचित किया जाता है कि दिनांक 02.12.2023 को मन निरीक्षक मय निरीक्षक विनोद ठाकुर जेर रहनुमाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी श्री कुलभूषण वर्मा साहब के वसवारी सरकारी गाडी HP03C-7912 के वराए करने तस्दीक हालात रपट न0 17 दिनांक 02.12.2023 के पंडार, बरोखड़ी के लिए थाना से रवाना थे। जो मन निरीक्षक मय हमराहीयान के समय करीब 8 बजे रात मुकाम चौकी पहुंचे थे, जहां पर LHC अभिनव चन्देल मय आ0 अमित कुमार, HHG गिरधारी लाल व HHG बोध राज के, जो रफ्ता हवाला रपट न0 5 दिनांक 02.12.2023 के रवाना थे, मिले थे। जो LHC अभिनव चन्देल ने बतलाया था कि इसे जो अवैध कटान की सूचना मिली थी, के बारे में वक्त बेगाह होने के कारण पुख्ता तौर पर ताहाल हालात तस्दीक न हो पाए है, फिर भी इसने इलाका में मुखबिर खास कायम किये हुए हैं। जो वक्त बेगाह होने के कारण दिनांक 02.12.2023 को मन निरीक्षक ने मय हमराहीयान जेर रहनुमाई जनाब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी साहब के रात्रि ठहराव विश्राम गृह,चौकी मे किया गया। आज दिनांक 03.12.023 को मन निरीक्षक ने मय हमराही मुलाजमान के जेर रहनुमाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी साहब के इलाका चौकी, पंडार, निहरी, बरोखड़ी क्षेत्र में खुफिया तौर पर सुरागबुरारी की। इसी दौरान समय करीब 1 बजे दोपहर खुफिया तौर पर मन निरीक्षक को सूचना मिली कि मंजकी जंगल, नजद बरोखड़ी में अवैध कटान के एक मामले के संवंध में वन विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों के द्वारा मौका पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और साथ में ही वन अपराध से सम्बन्धित एक अन्य खुफिया सूचना से सूचित हुआ कि मुसमी गोविन्द्र कुमार पुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गांव टेहटा डा0 बरोखड़ी तहसील निहरी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ने अपने रिहायशी मकान जो मुख्य पक्की सड़क से ऊपर की तरफ हैं, के साथ अवैध तौर पर बिना परमिट के एक आरा मशीन चला रखी है तथा अपने मकान के आगंन के साथ, आरा मशीन के साथ व मकान के साथ एक लगते घास शैड के पास अवैध तौर पर बिना परमिट के वन लकड़ी देवदार के स्लीपर काफी मात्रा में रखे हुए हैं, यदि इसी समय इसके घर में रेड की जाए, तो काफी मात्रा में वन लकडी देवदार के स्लीपर बरामद हो सकते हैं व मुसमी गोविन्द्र कुमार के पिता नेत्र सिंह का गांव टेहटा में सड़क के साथ नीचे की तरफ लगते निर्माणाधीन मकान में लकडी का डिपो भी है। जो सूचना पुख्ता व यकीनी है, इमरोज रविवार का दिन है व इलाका दूर दूराज का है, जिस कारण वारंट खाना तलाशी हासिल करने की सूरत में होने वाली देरी से सूचना के फैलने व माल के खुर्द वुर्द होने का अन्देशा है। जिस पर उक्त खूफिया सूचना के सन्दर्भ में मजीद कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह हेतु सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उप-मण्डल निहरी को पत्र तैयार करके LHC अभिनव चन्देल को रवाना किया गया। यह मालुम हुआ था कि सम्बन्धित वन बीट के कर्मचारी/अधिकारी जो मंजकी जंगल, नजद ब्रोकली में अवैध कटान के समबन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी मुसमी गोविन्द्र कुमार के घर की तलाशी में शामिल करने हेतु मन नि0 मय हमराहीयान के रवाना मंजकी जंगल, बतरफ बरोखड़ी सडक काह्ली नाला के पास पहुंचा, जहां पर कुछ समय इन्तजार

करने के बाद ऊपर नाले की तरफ से चार आदमी आते हुए सड़क पर मिले, जो परिचय होने पर ये चारों आदमी वन विभाग के कर्मचारी पाए गए, जिन्होनें अपने नाम गोपी चन्द हाल BO, पन्डार वन ब्लाक, मनोज कुमार हाल वन रक्षक वन बीट जरल, अविनाश कौडल वन रक्षक पण्डार वन बीट, नरेश कुमार वन रक्षक वन बीट कथूणी मालूम हुए । इसी दौरान LHC अभिनव चन्देल भी अपने हमराह लोक निर्माण विभाग, निहरी के दो कर्मचारियों को बतौर स्वतन्त्र गवाह लाया, जिन्होने अपने नाम योगराज पुत्र श्री अदम राम निवासी गांव लमडाह, डा0 निहरी, जिला मण्डी हाल सुपरवाईजर लोक निर्माण विभाग, उप-मण्डल निहरी व डिन्जू राम पुत्र श्री गोवर्धन निवासी गांव शिरड़, डा0 पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी हाल बेलदार लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल निहरी बतलाए । जो वन विभागे के सभी कर्मचारियों व दो स्वतन्त्र गवाह को हालात मुखबरी बारा विस्तृत तौर पर बतलाकर हालात मुखवरी से अवगत करवाया जाकर, रेडिंग पार्टी तैयार की गई । मन निरीक्षक मय हमराही मुलाजमान व रेडिंग पार्टी के मुकाम टेहटा में नेत्र सिंह के लकडी डिपो के पास पहुंचा, जहां पर नेत्र सिंह हाजिर मिला, जिसे अपना परिचय देने के बाद डिपो के कागज बतलाने को कहा गया तो उसने अपने लकडी डिपो से सम्बन्धित कागजात बतलाए, जो नेत्र सिंह के नाम से ही पाए गए । इसी दौरान मौका पर RO झून्गी गोपाल चन्द शांडिल भी पहुंचे, जिन्होनें उक्त डिपो के कागजात चैक किए तथा इसे वैध होना तहरीर किया, फिर भी इन्होनें जाहिर किया कि ये खुद अपने तौर पर कर्मचारियों से उक्त लकडी डिपो के कागजात व स्टाक रजिस्टर व मौजूंदा स्टाक को अलग से वारीकी से चैक कर लेगे। मौका पर नेत्र सिंह का बेटा गोविन्द्र कुमार भी हाजिर था । जो गोविन्द्र कुमार को भी हालात मुखबरी से अलग से अवगत करवाया गया । जिसने वाखुशी अपने घर की तलाशी देने बारे सहमति जताई । लिहाजा मन निरीक्षक मय हमराहीयान के जेर रहनुमाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी श्री कुलभूषण वर्मा साहब व वन विभाग के कर्मचारियों में से RO गोपीचन्द, वनरक्षक मनोज कुमार, वन रक्षक भाग सिंह व दो उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहों योगराज, डिन्जू राम सहित व गोविन्द्र कुमार के साथ गांव टेहटा में सडक से ऊपर की तरफ को स्थित गोविन्द्र कुमार के रिहायशी मकान में पहुंचे। उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहों योगराज, डिन्जू राम व वन विभाग के कर्मचारियों में से RO झून्गी गोपाल चन्द शांडिल को गवाह रखकर व पुलिस टीम में से नि0 विनोद ठाकुर को गवाह रखकर गोविन्द्र कुमार उपरोक्त के मकान की तलाशी वमौजुदगी गोविन्द्र कुमार के हस्वजाब्ता अमल में लाई गई । दौराने तलाशी गोविन्द्र कुमार उपरोक्त के घर के साथ दाहिनी तरफ स्थित घास के शैड के पास वन लकडी के स्लीपर, घर (सांझा पुश्तैनी) के आंगन में वन लकडी के स्लीपर व तैयारशुद्दा कड़ियां व इसी घर के वांयी तरफ सड़क कच्ची (लिंक) वाली साईड स्थित शैड में एक आरा मशीन लगी हुई तथा मशीन शैड के अंदर व वाहर वन लकडी के स्लीपर व तैयारशुद्दा कड़ियां बरामद हुई । जो मौका पर हाजिर वन विभाग के RO झुन्गी, गोपाल चन्द शांडिल व वन रक्षक वन वीट जरल मनोज कुमार ने यह वन लकडी देवदार की होना व बिना हैमर मार्क व ताजा प्रतीत होना बतलाया । जो वन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से बरामदा वन लकडी देवदार के स्लीपर व तैयारशुद्दा कड़ियां लकडी देवदार उपरोक्त को गिना गया तो गोविन्द्र कुमार उपरोक्त के घर के साथ दाहिनी तरफ स्थित घास के शैड के पास वन लकडी देवदार के कुल 33 स्लीपर पाए गए जिन्हें मार्क A 1 to A 33 मार्क दिया गया, घर (सांझा पुश्तैनी) के आंगन में कुल 58 स्लीपर पाए गए जिन्हें मार्क A 34 to A 91 मार्क दिया गया व तैयारशुद्दा कड़ियां लकड़ी देवदार कुल 89 पाई गई जिन्हें K 1 to K 89 मार्क दिया गया व घर (सांझा पुश्तैनी) के वांयी तरफ सड़क कच्ची वाली साईड स्थित आरा मशीन शैड के अंदर कुल 21 स्लीपर देवदार लकडी पाए गए जिन्हें A 92 to A 112 मार्क दिया गया तथा मशीन शैड के वाहर कुल 25 स्लीपर देवदार पाए गए जिन्हें मार्क A 113 to A 137 दिया गया तथा शैड के वाहर ही तैयारशुद्दा कड़ियां देवदार कुल 45 पाई गई, जिन्हें K 90 to K 134 मार्क दिया गया तथा आरा मशीन डेढं इंच आरे वाली होना पाई गई । इनके अलावा आरा मशीन शैड के बाहर चरान की हुई लकडी से निकली वेस्टेज लकड़ी का ढेर भी पाया गया । जो बरामदा उपरोक्त वन लकडी देवदार के स्लीपर व तैयारशुद्दा कड़ियां देवदार अलग-2 साईज की होना पाई गई । जो उपरोक्त स्लीपर देवदार, तैयारशुद्दा कड़ियां देवदार व आरा मशीन बारे गोविन्द्र कुमार कोई भी परमिट/लाईसन्स व कोई वैध कागजात पेश पुलिस न कर सका, परन्तु सरसरी तौर पुछने पर इन्हें अपनी होना वतलाया। मौका पर मौजुद स्थानीय वन वीट प्रभारी वनरक्षक मनोज कुमार ने गोविन्द्र कुमार उपरोक्त को, उपरोक्त व्रामदा लकड़ी व आरा मशीन वारा वन विभाग से कोई भी परमिट/मंजुरी जारी होना न वतलाया। जो उक्त बरामदा लकडी पर वन रक्षक जरल मनोज कुमार ने जब्ती हैमर मार्क SGS 5 से मार्क किया । बरामदा उपरोक्त स्लीपर व कड़ियां लकडी व आरा मशीन को बजरिया फर्द वतौर वजह सवूत पुलिस कब्जा मे लिया गया । फर्द मौका पर तैयार की गई । जव्ती हैमर मार्क SGS 5 फर्द पर भी अंकित किया गया । फर्द पर गवाहों ने बतौर गवाहन व मुसमी गोविन्द्र कुमार उपरोक्त ने बतौर अलवद अपने-2 हस्ताक्षर किए हैं। फर्द की एक प्रति निःशुल्क मुस्समी गोविन्द्र कुमार को दी गई । मौका की फोटोग्राफी LHC अभिनव चन्देल ने अपने निजी मोबाइल कैमरा से करी है । बरामदा उपरोक्त वन लकड़ी देवदार स्लीपर व कडियां लकडी देवदार की विस्तृत पैमाईश अलग से वन विभाग के द्वारा करवाई जा रही है, जो बाद पैमाइश उचित नमूना कब्जा पुलिस में लिया जाएगा । इस तरह उपरोक्त मुसमी गोविन्द्र कुमार द्वारा अपने घर में वन लकडी देवदार को अवैध रुप से विना परमिट के लाकर रखना प्रथम दृष्टया जुर्म जेर धारा 379 IPC व 41,42 Indian Forest Act की जद में आना पाया जा रहा है। जिस पर रुक्का अधीन धारा 379 IPC, 41,42 IF अधिनियम

वरखिलाफ आरोपी गोविन्द्र कुमार उपरोक्त के तैयार करके बदस्त LHC अभिनव चन्देल के थाना को भेजा जा रहा है । अभियोग पंजीकृत करके नम्बर मुकदमा से सूचित करे । मन निरीक्षक मौका पर तफ्तीश वर मौका हूँ । वमुकाम टेहटा नजद वरोखड़ी, जानिव दक्षिण-पुर्व, दुरी करीव 70 कि0मी0 अज थाना। हस्ताक्षर अंग्रेजी Kamal Kant I/O PS SV&ACB Mandi, Camp at Tehta Near Brokhari Dated 03.12.2023 at 7-20 PM कार्यवाही थाना :- हस्ब आमदा रुक्का को शब्द व शब्द लिखा गया । जो मजबून रुक्का से मामला जुर्म जेर धारा 379 IPC, 41,42 IF ACT का सरजद होना पाये जाने पर अभियोग वर खिलाफ गोविन्द्र कुमार पुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गांव टेहटा डा0 बरोखड़ी तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) के पंजीकृत थाना किया गया । FIR हजा की जरुरी प्रतियां CCTNS प्रिंटर के माध्यम से निकाली जाकर माननीय अदालत व अफसरानवाला की सेवा में आईन्दा बजरिया वाहक भेजी जा रही हैं । मिसल मुकदमा तैयार करके तफतीश हेतू निरीक्षक कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना रा0स0एंव0भ्र0रोधी0ब्यूरो0 मण्डी को बदस्त LHC अभिनव चन्देल के वर मौका भेजी जा रही है ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Kamal Kant **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): NA **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Munish Kumar
Rank (पद): INSP. (Inspector)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)